न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 61/2025

अजबाब :

1. सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट पंवार निवासी भानगढ़ तहसील भादरा। —वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मामूराम जाति जाट पंवार निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

वकील श्री अक्षय कुमार: प्रतिवादी सं0 1

निर्णय दिनांक : 23.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादभूमि रोही मौजा भानगढ़ के खाता संख्या 254/209 के ख0न0 484/141, 486/261 कुल खसरा 2 की कुल 4.5525 है0 बारानी भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि अच्छी एवं मंदी दोनों किस्म की भूमि है वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से बाइ मीट्स एवं बाउण्डस के अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 जरिये वकील हाजिर आये एव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा की सभी मद संख्याओ को स्वीकार करते हुए आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। साक्ष्यवादी में वादी सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी भानगढ के बयान करवाये। जमाबंदी रोही मौजा भानगढ़ संवत 2075–78 के खाता संख्या 254/209 प्रदर्श 1, नक्शा नजरीया मय रंगदार खाता संख्या 484/141 व 486/261 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा वादभूमि [illegible] व लगान अलग से कायम किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादीगण [illegible]

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा भानगढ़ के खाता सं [illegible] 254/209 के ख0न0 484/141, 486/261 कुल खसरा 2 की कुल 4.5525 है0 ब[illegible] वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि का खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार रोही मौजा भानगढ़ का पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

विभाजन : रोही मौजा भानगढ़

सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट सा0 भानगढ़ खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा :— रोही मौजा भानगढ़ के खाता सं0 254/209 के ख0सं0 484/141 रकबा 0.6385 है0 बारानी, ख0सं0 486/261 रकबा 3.9140 है0 बारानी में से उतरी तरफ की 3.1553 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7938 है0 बारानी ।

रामसिंह पुत्र नानूराम जाति जाट सा0 भानगढ़ खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा:— रोही मौजा भानगढ़ के खाता सं0 254/209 के खसरा सं0 486/261 रकबा 3.9140 है0 बारानी में से दक्षिणी तरफ की 0.7587 है0 बारानी ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.25...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर एवं कार्य. मजि. भादरा हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्ची डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 61/2025

नवान :

1. सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट पवार निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र नानूराम जाति जाट पवार निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 23.06.2025**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा तथा वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा भानगढ़ के खाता संख्या 254/209 के ख0न0 484/141, 486/261 कुल खसरा 2 की कुल 4.5525 है0 बारानी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार रोही मौजा भानगढ़ का पक्षकारान का खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है :—

विभाजन : रोही मौजा भानगढ़

सतवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट सा0 भानगढ़ खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा :— रोही मौजा भानगढ के खाता सं0 254/209 के ख0न0 484/141 रकबा 0.6385 है0 बारानी, ख0न0 486/261 रकबा 3.9140 है0 बारानी में से उतरी तरफ की 3.1553 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7938 है0 बारानी।

रामसिंह पुत्र नानूराम जाति जाट सा0 भानगढ़ खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा:— रोही मौजा भानगढ के खाता संख्या 254/209 के खसरा सं0 486/261 कुल रकबा 3.9140 है0 बारानी में से दक्षिणी तरफ की 0.7587 है0 बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से प[illegible] किया जावे। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा नजरिया को पर्ची [illegible] पढ़ा जावें।

यह पर्ची डिक्री आज दिनांक 23.06.25 को [illegible] मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:00 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner